प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 6 अप्रैल, 2021

श्री अशोक बन्सल, अध्यक्ष, कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा अवगत कराया गया कि आज दिनाँक 6 अप्रैल, 2021 को शैले हॉल, राज्य अतिथि गृह (नैनीताल क्लब), मल्लीताल, नैनीताल में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं विद्युत दरों पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया।

ज्ञातव्य हो कि उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है जबकि उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0 (यूपीसीएल)द्वारा 4.65 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव की ही बात कही गयी है।

जन सुनवाई के दौरान केजीसीसीआई द्वारा श्री डी पी गैरोला, माननीय चेयरमैन, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना तर्क रखा गया कि विगत वर्ष से विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के कारण उद्योग अत्यधिक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में यूपीसीएल द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों में वृद्धि करना न्यायोचित नहीं है। हालाँकि यूपीसीएल द्वारा लाईन लॉस एवं वितरण घाटे में कमी व राजस्व संग्रह में सुधार किया गया है तथापि उनमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है। हम यूपीसीएल को उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हैं।

केजीसीसीआई के सदस्यों द्वारा चेयरमैन, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि के बजाय लाईन लॉस को कम किया जाना चाहिए। लाईन लॉस को कम किए जाने से विद्युत दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भी अवगत कराया गया कि यूपीसीएल द्वारा प्रतिवर्ष विद्युत दरों में वृद्धि किए जाने के बावजूद भी विद्युतापूर्ति की व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं किया जा रहा है। उद्योगों को निरन्तर पावर कट, लो एवं हाई वोल्टेज की समस्याओं से अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जनपद हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर में काफी संख्या में ऐसे फीडर भी हैं जिनसे यूपीसीएल को काफी नुकसान हो रहा है। यूपीसीएल द्वारा इस प्रकार के नुकसान को नियन्त्रित किया जाना चाहिए ताकि विद्युत दरों में वृद्धि न करनी पड़े तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।

यूपीसीएल द्वारा माननीय आयोग के समक्ष वितरण हानि के 14.25 प्रतिशत के प्रस्ताव के बजाय 11 प्रतिशत वितरण हानि का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। चैम्बर द्वारा वैश्विक महामारी

कोविड–19 के कारण उद्योगों पर मंडरा संकट को ध्यान में रखते हुए माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से आग्रह किया गया है कि यूपीसीएल द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को निरस्त किया जाना चाहिए तथा संकट के समय सभी विद्युत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

माननीय आयोग द्वारा कन्टीन्युअस पावर सप्लाई का विकल्प चुनने वाले उद्योगों पर 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लगाने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में चैम्बर द्वारा माँग की गयी है कि सभी उपभोक्ताओं को कन्टीन्युअस विद्युतापूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, अतः कन्टीन्युअस पावर सप्लाई का विकल्प चुनने वाले उद्योगों पर 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त एनर्जी चार्ज लगाने के प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही 33 केवी कनेक्शन पर एनर्जी चार्जेज में 2.5 प्रतिशत तथा 132 केवी पर एनर्जी चार्जेज में 7.5 प्रतिशत रिबेट दी जा रही है जो कि बहुत कम है। इस रिबेट को बढ़ाया जाना चाहिए।

चैम्बर द्वारा यह भी माँग की गयी है कि मैदानी क्षेत्रों में होटल एवं सिनेमा हॉल इत्यादि में गर्मियों के मौसम में एयर कण्डीशनर्स का उपयोग होने के कारण पावर की खपत अधिक होती है तथा सर्दी के मौसम में एयर कण्डीशनर्स का उपयोग न होने के कारण पावर की खपत बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में होटल एवं सिनेमा इत्यादि में हीटर इत्यादि का उपयोग अधिक होने के कारण विद्युत की खपत अधिक बढ़ जाती है जबकि गर्मी के मौसम में वहाँ पर एयर कण्डीशनर्स की आवश्यकता न होने के कारण विद्युत की खपत कम रहती है। ऐसे उपभोक्ताओं हेतु सीजन के आधार पर टैरिफ का निर्धारण किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में केजीसीसीआई के महासचिव, श्री आर के गुप्ता तथा केजीसीसीआई पावर सब–कमेटी के चेयरमैन, श्री मधुप मिश्रा भी उपस्थित थे।

(अशोक बन्सल)
अध्यक्ष